



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(विहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email- md@idabihar.com Web- www.idabihar.com Fax/Phone: 0612-2675934, 2675933/2675935

का0आ0सं0- IDA/00/231/20

07/16/Estt./IDA/07

कार्यालय-आदेश

नोवेल कोरोना (Covid-19) वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु गृह विभाग, विहार सरकार के ज्ञापांक जी/आपदा-06-06/2020-102 (वि0स0को0) दिनांक 30.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक 178 दिनांक 31.07.2020 के आलोक में प्राधिकार के मुख्यालय में कार्यरत Category- C (श्रेणी- C) के अन्तर्गत कर्मियों को निम्न रूप से कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है :-

प्राधिकार कार्यालय (H.Q) में कार्यरत कर्मियों (Category- C) की सूची			
क्र0 सं0	शाखा	सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार	मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार
1.	प्र0नि0 कोषांग	श्री बिरेन्द्र चौधरी, आशुलिपिक (हिन्दी) श्री, रमेश प्रसाद सिंह, अनुसूचक	श्री मुकेश कुमार, क0अभि0 (तक0) श्री कमल किशोर राउत, अनुसूचक
2.	स्थापना शाखा	श्री हरिशंकर वर्मा, कार्यालय सहायक (प्रशासन) श्री सोनू कुमार मिश्रा, डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	श्री अजीत चौधरी, क0अभि0 (तक0) श्री तरुण कुमार, आशुलिपिक (हिन्दी)
3.	तकनीकी शाखा	श्री प्रशान्त कुमार, क0अभि0 (तक0) श्रीमति प्रीति सहाय, कम्प्यूटर प्रोग्रामर	श्री अजित कुमार क0अभि0 (तक0) सुश्री मधु कुमारी, क0अभि0 (सिविल)
4.	लेखा शाखा	श्री पटेल कुमार, लेखापाल श्री सत्यजीत कुमार, लेखा सहायक	श्री अरुण कुमार, लेखा सहायक श्री श्वेता कुमारी, लेखापाल
5.	भूमि विकास शाखा	श्री हृषिकेश पाण्डेय, अमीन	श्री नवेन्दु मिश्रा, लेखा सहायक

क्षेत्र में पदस्थापित अभियंताओं को प्राधिकार के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के निमित्त आने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यस्थल पर Social Distancing का पालन करना तथा Mask पहनना अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार
(संचिका सं0- 07/16/Estt./IDA/07 दिनांक 04.07.20)

ह0/-

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक:- 1596/Estt/07/16/Estt./IDA/07 दिनांक:- 04-08-2020

प्रतिलिपि:- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. निदेशक (पी0आई0)/प्रभारी निदेशक (वित्त)/सभी कार्यपालक अभियन्ता/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी/प्रोक्योरमेन्ट ऑफिसर-सह-हाउसकीपिंग/विधि पदाधिकारी/जन-सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रबन्ध निदेशक कोषांग/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)